



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

No. CBSE/Aff./Circular/7/2016/1182259

Dated: 29.12.2016

SUB.: AMENDMENT IN AFFILIATION BYE-LAWS OF THE BOARD –Rule 3.3(i) CHAPTER II-Reg

Consequent upon the recommendations of Affiliation Committee made at its meetings held on 13.12.2016 and ratified by the Governing Body in its meeting held on 20.12.2016, the following amendment in Affiliation Byelaws has been made by the Board for seeking provisional affiliation by the schools.

Existing Rule 3.3(i) Chapter II	Amended Rule 3.3(i) Chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government of otherwise it would be assumed that concerned State/U.T Government has No objection.	The school seeking provisional affiliation with the Board shall submit the following documents (a) Formal prior Recognition letter from concerned State Education Department i.e. Recognition for classes I to V required for Middle Class Approval and Recognition for classes I to VIII required for Provisional Affiliation upto Secondary Level AND (b) No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with CBSE No Objection Certificate once issued to any school will be considered at par even if it prescribed a specific period and /or level unless it is withdrawn. Condition to submit No Objection Certificate will not be applicable to categories of schools stated at Rule 3.1 (i) to (iv) of Affiliation Bye- laws of the Board.

The above amendment is applicable for the applications received from 1st January, 2017 for academic session 2018-19 onwards.

(JAIPRAKASH CHATURVEDI)
DEPUTY SECRETARY (AFFILIATION)

Distribution:-

1. All the Principals of the School Affiliated to the CBSE.
2. All the Managers of the Private unaided Schools Affiliated to the CBSE.
3. The Director of Education, Delhi, Chandigarh, Arunachal Pradesh, Sikkim, Port Blair.
4. The Director Secondary Education Departments of all States.
5. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18-Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi – 110016.
6. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, A-28, Kailash Colony, New Delhi.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

7. The Director, Central Tibetan School Administration, Ess Ess Plaza, Community Centre, Sector-3, Rohini-85.
8. All HODs of CBSE.
9. The Director (IT), CBSE, Delhi – For Uploading Circular on CBSE Website.
10. EO to CM, CBSE.
11. The Joint Secretary (A&L), CBSE, Preet Vihar, Delhi.
12. The Joint Secretary (Co-ordination), CBSE, Delhi.
13. All Regional Officers of CBSE.
14. The Research Officer (Technology), Affiliation Unit, CBSE, Preet Vihar, Delhi.
15. The PRO, CBSE, Delhi for due Publicity.
16. Guard File.

(JAIPRAKASH CHATURVEDI)
DEPUTY SECRETARY (AFFILIATION)



कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं०-परिषद्/क०लि०/मान्यता/11248-49/2015-16

दिनांक - 29/12/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,

स्कालर्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल,

राघव नगर, देवरिया।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं स्कालर्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, राघव नगर, देवरिया को दिनांक 25.12.2015 से दिनांक 24.12.2018 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ



Manager
Scholar's Senior Secondary School
Deoria

- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडारागार के लिए कक्षा
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 20 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. किसी भी प्रकार का राख्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(मनोज कुमार मिश्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

देवरिया।

पृ०सं०: परिषद्/क०लि०/मान्यता/

प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक(बे०), सप्तम मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

/2015-16/तददिनांकित।

Manager
Scholar's Senior Secondary School
Deoria



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।